उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल)

हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा – 2024

संस्थागत / व्यक्तिगत छात्रों के आवेदन–पत्रों तथा अन्य सम्बन्धित प्रपत्रों को पूरित कराने के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या एवं अग्रसारण अधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देश।

टिप्पणीः– कृपया आवेदन–पत्र तथा अन्य सम्बन्धित प्रपत्रों की पूर्ति कराने से पूर्व इस निर्देश पत्र को अत्यन्त सावधानी के साथ पढ़िए, क्योंकि इसमें आवश्यकतानुसार प्रति वर्ष कुछ न कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की सम्भावना रहती है। परीक्षा / प्राप्तांक शुल्क जमा करने की विधि इत्यादि का सावधानी पुर्वक अध्ययन करें। विद्यालय श्रेणी कोड को बडी सतर्कता के साथ ध्यान देकर भरा जाय। इस निर्देश पत्र को परीक्षा–काल में तथा परीक्षा के पश्चात् भी सन्दर्भ के लिए रखना परम उपयोगी है। प्रधानाचार्य एवं परीक्षा प्रभारी परीक्षार्थियों के आवेदन–पत्र, नामावली, संख्या सूचक–चक्र, स्मारिका आदि समस्त प्रपत्रों की स्वयं जॉच कर लें। त्रुटि पाये जाने पर प्रधानाचार्य तथा परीक्षा प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

टेलीफोन : 05947–254275
फैक्स : 05947–255021
Email- secy-ubse-uk@nic.in
Website-www.ubse.uk.gov.in

निर्देश–पत्र

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर, नैनीताल।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
2. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
3. प्रदेश के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त / सहायता प्राप्त हाई. एवं इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्या।

महोदय / महोदया,

वर्ष 2024 की हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाने है। आपकी संस्था के छात्र / छात्राओं के आई.सी.आर. आवेदन पत्र भरे जाने हेतु निर्देश आपको प्रेषित किये जा रहे है। अतः सभी परीक्षार्थियों के आई.सी.आर. आवेदन पत्र निर्देश–पत्र में दिये गये समय के अनुसार पूर्ण कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

महत्वपूर्ण आवश्यक निर्देश

1. परीक्षार्थी के आवेदन–पत्र पर लगा हुआ फोटो पासपोर्ट साइज का स्पष्ट रूप से खिंचा हुआ, निर्धारित स्थान पर लगा हुआ हो। आवेदन–पत्र में लगी हुई प्रत्येक फोटो का आकार प्रकार एक सा होना अनिवार्य है।
2. उत्तराखण्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 9 तथा कक्षा 11 उत्तीर्ण संस्थागत तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी अथवा उत्तराखण्ड के अतिरिक्त अन्य राज्यों के समकक्ष मान्य शिक्षा बोर्ड / शिक्षा विभाग द्वारा संचालित अथवा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी ही परिषद् की हाईस्कूल एवं इण्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होगा। संस्थागत / व्यक्तिगत कोई भी परीक्षार्थी कक्षा 10 या कक्षा 12 की परीक्षा में उन्हीं विषयों से सम्मिलित होगा जिन विषयों से उसके द्वारा कक्षा 9 या कक्षा 11 उत्तीर्ण की गई हो अथवा जिन विषयों से वह पूर्व वर्षो में कक्षा 10 या कक्षा 12 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा हो। हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षार्थी विनियमों के अन्तर्गत अन्य विषय / विषयों / विषय वर्ग से परीक्षा में तभी सम्मिलित हो सकेंगे जबकि उनके द्वारा उस विषय / विषयों / विषय वर्ग में कक्षा 9 या कक्षा 11 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो अथवा पूर्व वर्षो में वह विनियमों के अन्तर्गत उन विषयों में अनुत्तीर्ण रहा हो।
3. हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट संस्थागत परीक्षार्थियों के कक्षा 9 / कक्षा 11 उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10 / कक्षा 12 अनुत्तीर्ण के अंक पत्रों की छाया प्रति आवेदन–पत्र अग्रसारित करने वाले विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित कर आवेदन–पत्र के साथ संलग्न की जाय। परिषद् की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कक्षा 9 / कक्षा 11 उत्तीर्ण परीक्षार्थी खण्ड शिक्षा अधिकारी / मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित अंक पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करेंगे, जबकि कक्षा 10 / कक्षा 12 अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को अंकपत्र की अग्रसारण अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होकर मूल रूप में संलग्न होने चाहिए। अन्य राज्यों

के समकक्ष बोर्डों के मान्यता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 9/कक्षा 11 उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10/कक्षा 12 अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को उस राज्य के सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी अथवा मण्डलीय शिक्षा अतिधकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अंक पत्र व स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. वर्ष 2024 की हाईस्कूल/इण्टर परिषदीय परीक्षा (संस्थागत/व्यक्तिगत) के लिये केवल वही परीक्षार्थी अर्ह होंगे जिनका पंजीकरण गत वर्ष 2023 में हो चुका हो। विद्यालय में अन्य बोर्डों से कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के पंजीकरण हेतु पोर्टल पर परीक्षा आवेदन के समय ही विन्डो खोली जायेगी। विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा कर ऑनलाइन पंजीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
5. इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा के परीक्षार्थी को हाईस्कूल उत्तीर्ण अंक पत्र अथवा प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. संस्थागत एवं व्यक्तिगत आवेदन पत्रों के सभी संलग्नक अग्रसारण अधिकारी से ही सत्यापित होना आवश्यक है। अन्य से सत्यापित प्रति मान्य नहीं होगी।
7. संस्थागत व व्यक्तिगत आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति अग्रसारण अधिकारी से सत्यापित कर संलग्न करना अनिवार्य है।
8. संस्थागत/व्यक्तिगत परिषदीय परीक्षाओं का शुल्क तथा तिथिवार कार्यक्रम का विवरण :-

क्र0 सं0	विवरण	हाईस्कूल परीक्षा		इण्टरमीडिएट परीक्षा	
		संस्थागत	व्यक्तिगत	संस्थागत	व्यक्तिगत
1	परीक्षा शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	रू. 200.00	रू. 600.00	रू. 350.00	रू. 700.00
2	अंकपत्र शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	रू. 10.00	रू. 10.00	रू. 10.00	रू. 10.00
3	अग्रसारण शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	–	रू. 10.00	–	रू. 10.00
4	केवल एक विषय का शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	–	रू. 150.00	–	रू. 150.00
5	प्रमाण पत्र प्रवर्जन शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	–	–	रू. 50.00	रू. 50.00
6	विलम्ब शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	–	रू. 150.00	–	रू. 150.00
7	निर्धारित शुल्क के साथ बैंक चालान जमा करने तथा वेबसाइट में अपलोड करने की अन्तिम तिथि	31 जुलाई 2023	14 अगस्त 2023	31 जुलाई 2023	14 अगस्त 2023
8	विलम्ब शुल्क के साथ बैंक चालान जमा करने तथा वेबसाइट में अपलोड करने की अन्तिम तिथि		24 अगस्त 2023		24 अगस्त 2023
9	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि	तिथियों की सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।			
10	ऑनलाइन नामावली संशोधन की अवधि				

नोट- (1) यदि विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र अग्रसारित करने की अन्तिम तिथि को अवकाश अथवा बैंक अवकाश हो जिससे शुल्क जमा नहीं हो पा रहा है तो केवल अगले कार्य दिवस को शुल्क जमा कर आवेदन पत्र अग्रसारित किये जा सकेंगे।

(1). अंकपत्र शुल्क रू0 10.00 (दस रूपये) प्रति परीक्षार्थी है। अंकपत्र शुल्क में से रू0 05.00 प्रति परीक्षार्थी प्रधानाचार्य अपने स्तर पर रोक लेंगे जिसका प्रयोग नामावली तथा संख्या सूचक चक्र बनाने एवं प्राप्तांक प्रदान करने की प्रकिया में डाक व्यय तथा लेखन सामग्री आदि कि मदों में व्यय हेतु किया जायेगा। शेष रू 05 प्रति परीक्षार्थी की दर से धनराशि राजकीय कोषागार में जमा करेंगे ।

(2) विलम्ब शुल्क का प्रावधान संस्थागत परीक्षार्थियों हेतु विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 2006 के अध्याय बारह के बिन्दु -4(एक) व (दो) के अनुसार होगा। संस्थागत परीक्षार्थियों हेतु विलम्ब शुल्क रू0 30-00 (तीस रूपये) प्रति परीक्षार्थी प्रति दिन की दर से प्रधानाचार्य द्वारा स्वयं जमा करना होगा। इसका उत्तरदाईत्त्व परीक्षार्थी पर नहीं है। यह शुल्क प्रधानाचार्य द्वारा अपने विद्यालय के संस्थागत आवेदन पत्र को परिषद द्वारा निर्धारित तिथि तक खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा न करने की स्थिति में लिया जायेगा । आवेदन शुल्क उसी तिथि तक मान्य होगा। जिसे परिषद् द्वारा आवेदन हेतु अन्तिम तिथि घोषित किया गया है।

(3) बोर्ड परीक्षा का शुल्क, कोष-पत्र (ट्रेजरी चालान) द्वारा राजकीय कोषागार में निम्न लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जायेगा ।

0202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति
01-सामान्य शिक्षा
102-माध्यमिक शिक्षा
02-बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क

उर्पयुक्त लेखा शीर्षक अत्यन्त सावधानी से भरें।

(4) इण्टरमीडिएट हेतु प्रर्वजन प्रमाण पत्र शुल्क रू0 50 लिया जायेगा।

कोष पत्र की मूल प्रति परिषद् कार्यालय में भेजी जायेगी। हाई स्कूल तथा इण्टर की परीक्षाओं का अलग–अलग कोष पत्र होगा। जिन परीक्षार्थियों की 2023 की परीक्षा का परीक्षा शुल्क 2024 की परीक्षा के लिए सुरक्षित कर लिया गया है, उनका मूल पत्र स्मारिका के साथ लगाना अनिवार्य है। कोई भी परीक्षार्थी बिना शुल्क के परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कोष पत्र में लेखा शीर्षक सफलापूर्वक सही अंकित करें। राजकोष शुल्क उपशीर्षक 02 में लगा हुआ ही मान्य होगा। अन्य उपशीर्षक में जमा किया गया शुल्क मान्य नहीं होगा।

(5) परिषद् की परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र परिषद् कार्यालय से विद्यालय को भेजे जायेंगे। जो परीक्षार्थी डाक से अपना प्रमाण पत्र चाहते है वे प्रधानाचार्य को रजिस्टर्ड डाक टिकट लगा अपने पते का लिफाफा भेज कर प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। अन्य छात्र विद्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करें। इसके लिये शुल्क नहीं लिया जायेगा।
नोटः जितने छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र अग्रसारित किये जायें उतने का ही परीक्षा शुल्क/अंक पत्र/प्रवर्जन प्रमाण पत्र शुल्क कोषागार में जमा किया जाय। यदि कोई छात्र बिमार और उसका आवेदन पत्र पूरित कर अग्रसारित नहीं किया जा रहा है परन्तु उसका शुल्क कोषागार में जमा कर दिया गया है तो उस छात्र का नाम माता तथा पिता का नाम एवं उसके द्वारा उपहृत विषय स्मारिका में निर्धारित स्थान पर अंकित किये जायें। छात्र संख्या से अधिक शुल्क जमा करने या निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् शुल्क जमा होने पर मान्य नहीं होगा तथा अधिक शुल्क जमा करने का औचित्य कारण सहित स्पष्ट करना होगा।

(6) यदि किसी परिषदीय परीक्षा हेतु पंजीकृत परीक्षार्थी का नाम बीच में किन्हीं कारणों से कट जाता है तो उसकी सूचना पंजीकृत पत्र के माध्यम से तुरन्त परिषद् को देना अनिवार्य होगा। यदि इस सन्दर्भ में विद्यालय द्वारा समय पर सूचना नहीं दी जाती है और परिषद् द्वारा अवगत कराया जाता है तो सम्बन्धित विद्यालय के खिलाफ नियमानुसार कार्यवही की जायेगी।

(7) कतिपय विद्यालयों द्वारा अंक पत्र एवं प्रमाण पत्रों व अन्य संलग्नों की ऐसी छायाप्रति संलग्न की जाती है जो की न तो पढ़ने में आती है और न ही साफ होती है। अतः पढ़ने में साफ तथा स्पष्ट संलग्नक हो। अस्पष्ट अपठनीय एवं उपरीलेख वाली प्रति संलग्न हो तो उसके लिये अग्रसारण अधिकारी उत्तरदायी होगा जिसके खिलाफ अनुशासनात्म कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।

(8) प्रत्येक विद्यालय को वर्ष 2023 के कक्षा 9 व 11 के संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षाफल (टैबुलेशन सीट) की छायाप्रति अलग–अलग हाईस्कूल/इण्टर आई.सी.आर. लिफाफे में भेजना अनिवार्य होगा।

महत्वपूर्ण आवश्यक निर्देश
हाईस्कूल परीक्षा

1. वर्ष 2024 की हाईस्कूल परीक्षा में केवल उन्हीं परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र अग्रसारित किये जायें जिन्होंने अपना पंजीकरण करवा लिया है। पूर्व पंजीकरण में चयनित विषयों के परिवर्तन की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी। परीक्षार्थी द्वारा पूर्व पंजीकरण आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों तथा आवेदन पत्र में की जा रही प्रविष्टियों में समानता होना आवश्यक है। असमान्ता की स्थिति में पूर्व पंजीकरण पत्र में अंकित की गयी सूचनायें मान्य होंगी।
2. छात्र/छात्रा की पात्रता की जॉच परिषद् के नियमों के अनुसार अवश्य कर ली जाय। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र जालसाजी/मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर सम्मिलित कर दिया गया है तो ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जायेगा और यदि वह परीक्षा में सम्मिलिता हो गया हो तो उसका परीक्षाफल निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसे परीक्षार्थियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी। इस अनियमित्ता हेतु प्रधानाचार्य/अग्रसारण अधिकारी भी उत्तरदायी होंगे।
3. कोई भी परीक्षार्थी किसी भी दशा में दो पंजीकरण/अग्रसारण केन्द्रों से अपना संस्थागत/व्यक्तिगत आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं करायेगा। वह किसी भी दशा में केवल एक ही आवेदन पत्र अग्रसारित करायेगा। दो आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में दोनों ही आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य भली–भॉति जॉच कर लें। इस हेतु संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी से एक ही आवेदन पत्र भरने का प्रमाण पत्र लेकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
4. परीक्षार्थियों के कक्षा 9 एवं 11 उत्तीर्ण अंक पत्र की छायाप्रति अथवा हाईस्कूल, इण्टर अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के परीक्षा अंक पत्र की छायाप्रति जो कि अग्रसारण अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।
5. विषय कोड 052 से 063 तक के विषयों का चयन तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक की विद्यालय में आवश्यक आधारभूत संरचना (Infrastructure) उपलब्ध नहीं हो जातीं

हाईस्कूल परिषदीय परीक्षा 2024
परम्परागत आई0सी0आर0 आवेदन पत्र पूरित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

प्रत्येक संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी को आई0सी0आर0 आवेदन पत्र भी भरने है आवेदन पत्र को नीली अथवा काली बॉल प्वाइंट से स्वच्छता पूर्वक भरा जाना है आवेदन पत्र में शुल्क से सम्बन्धित विवरण निर्धारित स्थान पर भरा जाना है। विद्यालय की छात्र संख्या के आधार पर संख्या निर्धारित 04 खानों में 0001 से प्रारम्भ कर पूरित की जानी है।

आवेदन पत्र के शेष भाग को पूरित करने हेतु निम्न निर्देशों का बिन्दुवार पालन करें।

(क) क्रमांक–1 (जनपद कोड)–जनपद कोड 03 अंकों में भरा जाना है। जनपद कोड निम्नानुसार निर्धारित है।:–

हरिद्वार–101, देहरादून–102 उत्तरकाशी–103, टिहरी–104, पौड़ी–105, चमोली–106, रूद्रप्रयाग–107, पिथौरागढ़–108, चम्पावत–109, अल्मोड़ा–110, बागेश्वर–111, नैनीताल–112, ऊधमसिंह नगर–113

(ख) क्रमांक–2 (स्कूल कोड)–स्कूल कोड 03 अंकों में भरा जाना है। स्कूल कोड जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित/आवंटित होना चाहिए।

(ग) क्रमांक–3 (विद्यालय श्रेणी कोड)–

A–राजकीय संस्था हेतु

B–राजकीय सहायता प्राप्त संस्था हेतु

C–हाईस्कूल सहायता प्राप्त एवं इण्टर वित्तविहीन मान्यता वाले विद्यालय हेतु

D–सम्पूर्ण वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय हेतु

आई0सी0आर0 आवेदन–पत्र में उक्तानुसार (✓) का निशान लगायें ।

(घ) क्रमांक–4 (विद्यालय की भौगोलिक स्थिति)–निर्धारित क्षेत्र (शहरी/ग्रामीण) के कॉलम में टिक (✓) का निशान लगायें।

(ङ) क्रमांक–5 (विकास खण्ड)–निर्धारित स्थान में विकास खण्ड का नाम एवं 02 अंकीय कोड की अंकना करें।

(च) क्रमांक–6 (संस्थागत/व्यक्तिगत)–संस्थागत/व्यक्तिगत अभ्यर्थी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कॉलम में टिक (✓) का निशान लगायें।

(छ) क्रमांक–7 (परीक्षार्थी का नाम)–परीक्षार्थी का नाम हिन्दी में लिखा जाना है।

(ज) क्रमांक–8 (माता का नाम)–परीक्षार्थी की माता का नाम हिन्दी में लिखा जाना है।

(झ) क्रमांक–9 (पिता का नाम)–परीक्षार्थी के पिता का नाम हिन्दी में लिखा जाना है।

(ञ) क्रमांक–10 (विद्यालय का नाम)–विद्यालय/संस्था का नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों एवं हिन्दी में अंकित किया जाना है।

(ट) क्रमांक–11 चौकोर खानों में परीक्षार्थी का पूरा नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में भरा जाना है। नाम से पूर्व कुमारी/श्री/श्रीमती आदि न लिखा जाय। दो या दो से अधिक शब्दों से बने नाम में शब्दों के मध्य एक खाना रिक्त अवश्य छोड़ा जाना है।

(ठ) क्रमांक–12–चौकोर खानों में परीक्षार्थी की माता का पूरा नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में भरा जाना है। नाम से पूर्व श्रीमती/डॉ0 आदि न लिखा जाय। दो या दो से अधिक शब्दों से बने नाम में शब्दों के मध्य एक खाना रिक्त अवश्य छोड़ा जाना है।

(ड) क्रमांक–13 चौकोर खानों में परीक्षार्थी के पिता का पूरा नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में भरा जाना है। नाम से पूर्व श्री/डॉ0 आदि न लिखा जाय। दो या दो से अधिक शब्दों से बने नाम में शब्दों के मध्य एक खाना रिक्त अवश्य छोड़ा जाना है।

(ढ) क्रमांक–14 (पंजीकरण संख्या)- परीक्षार्थी की पंजीकरण संख्या (निर्धारित चौदह/पन्द्रह/सोलह खानों में) की अंकना की जानी है। पंजीकरण संख्या की पूर्ति बॉये से दॉये (**Left to right**) की जानी है।

(ण) क्रमांक–15 (दूरभाष संख्या)–परीक्षार्थी अथवा अभिभावक की दूरभाष संख्या लिखें।

(त) क्रमांक–16 (लिंग)–निर्धारित लिंग विवरण (पुरुष/कुमारी/श्रीमती/अन्य) के कॉलम में टिक (✓) का निशान लगायें।

(थ) क्रमांक–17 (जाति)- परीक्षार्थी की जाति कोड पर टिक (✓) करें।

(द) क्रमांक–18 (जन्म तिथि)–परीक्षार्थी की जन्म तिथि निर्धारित खानों में अंकित की जाय।

(ध) क्रमांक–19 (परीक्षा का माध्यम)–परीक्षार्थी जिस माध्यम से परीक्षा देना चाहता है, उस माध्यम को टिक (✓) करें।

(न) क्रमांक–20 (शारीरिक अक्षमता)–परीक्षार्थी दिव्यांग होने की स्थिति में निम्नानुसार यथास्थिति दिव्यांगता प्रकार एवं कोड अंकित करें।

1–अन्धापन, 2–कम दृष्टि, 3–कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, 4–सुनवाई हानि (बहरा और सुनने में कठिन), 5–लोकोमोटर दिव्यांगता, 6–बौनापन, 7–बौद्धिक दिव्यांगता, 8–मानसिक बीमारी, 9–ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, 10–सेरेब्रल पाल्सी, 11–मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, 12–जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियॉं, 13–विशिष्ट सीखने की अक्षमता, 14–मल्टीपल स्केलेरोसिस, 15–भाषण और भाषा दिव्यांगता, 16–थैलेसीमिया, 17–हीमोफिलिया, 18–सिकल सेल रोग, 19–बहरापन सहित कई दिव्यांगता, 20–एसिड अटैक पीड़ित, 21–पार्किंसंस रोग से पीड़ित करें।

(प) क्रमांक–21 (उपहृत विषय)–परीक्षार्थी द्वारा चयनित विषयों के कोड तथा नाम अंकित करें।

(फ) क्रमांक–22 (पूर्व हाईस्कूल परीक्षा विवरण)–संस्थागत परीक्षार्थी पूर्व परीक्षा का विवरण भरें, जिस आधार पर हाईस्कूल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह है। व्यक्तिगत विनियम परीक्षार्थी कक्षा 10 उत्तीर्ण विषय भरें।

(ब) क्रमांक–23 (पूर्व परीक्षा विवरण)- संस्थागत परीक्षार्थी पूर्व परीक्षा में उपहृत विषय (कक्षा 9 में चयनित विषय) भरें। व्यक्तिगत विनियम परीक्षार्थी विनियम के अन्तर्गत चयनित विषय तथा विषय कोड भरें।

(भ) क्रमांक–24–संस्थागत परीक्षार्थी जिस अल्पसंख्यक समुदाय के हों उस पर टिक (✓) करें। व्यक्तिगत परीक्षार्थी पूर्व परीक्षा का विवरण भरें जिस आधार पर हाईस्कूल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह हैं। (अंकपत्र प्रति संलग्न करें।)

(म) क्रमांक–25–संस्थागत परीक्षार्थी सम्बन्धित सूचनाएँ भरें, व्यक्तिगत परीक्षार्थी पूर्व परीक्षा में उपहृत विषय (कक्षा 9 में चयनित विषय) भरें।

(य) क्रमांक–26 (अल्पसंख्यक कोड)–व्यक्तिगत परीक्षार्थी जिस अल्पसंख्यक समुदाय के हों उस पर टिक (✓) करें।

(र) क्रमांक–27–व्यक्तिगत परीक्षार्थी सम्बन्धित सूचनाएँ भरें।

परम्परागत (I.C.R.) आवेदन–पत्र के मुख पृष्ठ के अन्त में परीक्षार्थी, कक्षाध्यापक एवं प्रधानाचार्य अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा पृष्ठ भाग में परीक्षार्थी का पता हस्ताक्षर सहित होना अनिवार्य है इसके साथ–साथ परीक्षा प्रभारी एवं प्रधानाचार्य द्वारा परीक्षार्थी के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र भी पूरित किया जाना है। इसी के आधार पर ऑनलाइन इन्ट्री की जायेगी।

नोटः–उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त आई0सी0आर0 आवेदन–पत्र के अवशेष स्तम्भों में माँगा गया विवरण अंकित करें।

हाईस्कूल परिषदीय परीक्षा वर्ष– 2024

परीक्षार्थी के निम्नांकित सभी पत्रजातों को तैयार/प्राप्त करने के उपरान्त सभी संलग्नकों को निम्न क्रमानुसार आई0सी0आर0 के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा तथा इनकी प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

<u>हाईस्कूल परीक्षा (संस्थागत)</u>

1– कोष–पत्र (चालान) –मूल रूप में।

2 कक्षा 9 उत्तीर्ण की प्रमाणित छाया प्रति।

<u>हाईस्कूल परीक्षा (व्यक्तिगत)</u>

1- कोष–पत्र (चालान) –मूल रूप में।

2– कक्षा 9 उत्तीर्ण की प्रमाणित छाया प्रति।

3– विनियम के अन्तर्गत आवेदन करने वाले परीक्षार्थी कक्षा 10 उत्तीर्ण अंकपत्र/प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

4– स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति– मूल में।

5– पंजीकरण प्रमाण पत्र।

इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा वर्ष– 2024

परम्परागत आवेदन–पत्र I.C.R. पूरित करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देशः–

प्रत्येक संस्थागत परीक्षार्थी को दो परम्परागत आवेदन–पत्र (I.C.R.) भरने हैं। आवेदन–पत्र को नीली अथवा काली बॉल प्याइंट पैन से स्वच्छतापूर्वक भरा जाना है। आवेदन–पत्र में शुल्क से सम्बन्धित विवरण निर्धारित स्थान पर भरा जाना है। विद्यालय की छात्र संख्या के आधार पर आवेदन–पत्र संख्या निर्धारित 04 खानों में 0001 से प्रारम्भ कर पूरित की जानी है।

आवेदन–पत्र के शेष भाग को पूरित करने हेतु निम्न निर्देशों का बिन्दुवार पालन करें:–

(क) क्रमांक–1 (जनपद कोड)–जनपद कोड 03 अंकों में भरा जाना है। जनपद कोड निम्नानुसार निर्धारित है:–

हरिद्वार–101, देहरादून–102 उत्तरकाशी–103, टिहरी–104, पौड़ी–105, चमोली–106, रूद्रप्रयाग–107, पिथौरागढ़–108, चम्पावत–109, अल्मोड़ा 110, बागेश्वर–111, नैनीताल–112, ऊधमसिंह नगर–113

(ख) क्रमांक–2 (स्कूल कोड)–स्कूल कोड 03 अंकों में भरा जाना है। स्कूल कोड जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित/आवंटित होना चाहिए।

(ग)क्रमांक–3 (विद्यालय श्रेणी कोड)–

A–राजकीय संस्था हेतु

B–राजकीय सहायता प्राप्त संस्था हेतु

C–हाईस्कूल सहायता प्राप्त एवं इण्टर वित्तविहीन मान्यता वाले विद्यालय हेतु

D–सम्पूर्ण वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय हेतु

आई0सी0आर0 आवेदन–पत्र में उक्तानुसार (✓) का निशान लगायें ।

(घ) क्रमांक–4 (विद्यालय की भौगोलिक स्थिति)–निर्धारित क्षेत्र (शहरी/ग्रामीण) के कॉलम में टिक (✓) का निशान लगायें।

(ङ) क्रमांक–5 (विकास खण्ड)–निर्धारित स्थान में विकास खण्ड का नाम एवं 02 अंकीय कोड की अंकना करें।

(च) क्रमांक–6 (संस्थागत/व्यक्तिगत)–संस्थागत/व्यक्तिगत अभ्यर्थी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कॉलम में टिक (✓) का निशान लगायें।

(छ) क्रमांक–7 (परीक्षार्थी का नाम)–परीक्षार्थी का नाम हिन्दी में लिखा जाना है।

(ज) क्रमांक–8 (पिता का नाम)–परीक्षार्थी के पिता का नाम हिन्दी में लिखा जाना है।

(झ) क्रमांक–9 (विद्यालय का नाम)–विद्यालय/संस्था का नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों एवं हिन्दी में अंकित किया जाना है।

(ञ) क्रमांक–10 चौकोर खानों में परीक्षार्थी का पूरा नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में भरा जाना है। नाम से पूर्व कुमारी/श्री/श्रीमती आदि न लिखा जाय। दो या दो से अधिक शब्दों से बने नाम में शब्दों के मध्य एक खाना रिक्त अवश्य छोड़ा जाना है।

(ट) क्रमांक–11 चौकोर खानों में परीक्षार्थी की माता का पूरा नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में भरा जाना है। नाम से पूर्व श्रीमती/डॉ0 आदि न लिखा जाय। दो या दो से अधिक शब्दों से बने नाम में शब्दों के मध्य एक खाना रिक्त अवश्य छोड़ा जाना है।

(ठ) क्रमांक–12 चौकोर खानों में परीक्षार्थी के पिता का पूरा नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में भरा जाना है। नाम से पूर्व श्री/डॉ0 आदि न लिखा जाय। दो या दो से अधिक शब्दों से बने नाम में शब्दों के मध्य एक खाना रिक्त अवश्य छोड़ा जाना है।

(ड) क्रमांक–13 (पंजीकरण संख्या)–परीक्षार्थी की पंजीकरण संख्या (निर्धारित चौदह/पन्द्रह/सोलह खानों में) की अंकना की जानी है। पंजीकरण संख्या की पूर्ति बाँये से दाँये (Left to right) की जानी है।

(ढ) क्रमांक–14 (दूरभाष संख्या)–परीक्षार्थी अथवा अभिभावक की दूरभाष संख्या लिखें।

(ण) क्रमांक–15 (लिंग)–निर्धारित लिंग विवरण (पुरुष/कुमारी/श्रीमती/अन्य) के कॉलम में टिक (✓) का निशान लगायें।

(त) क्रमांक–16 (जाति)–परीक्षार्थी की जाति कोड पर टिक (✓) करें।

(थ) क्रमांक–17 (शारीरिक अक्षमता)– परीक्षार्थी दिव्यांग होने की स्थिति में निम्नानुसार यथास्थिति दिव्यांगता प्रकार एवं कोड अंकित करें।

1–अन्धापन, 2–कम दृष्टि, 3–कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, 4–सुनवाई हानि (बहरा और सुनने में कठिन), 5–लोकोमोटर दिव्यांगता, 6–बौनापन, 7–बौद्धिक दिव्यांगता, 8 मानसिक बीमारी, 9–ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, 10–सेरेब्रल पाल्सी, 11–मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, 12–जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ, 13–विशिष्ट सीखने की अक्षमता, 14–मल्टीपल स्केलेरोसिस, 15–भाषण और भाषा दिव्यांगता, 16–थैलेसीमिया, 17–हीमोफिलिया, 18–सिकल सेल रोग, 19–बहरापन सहित कई दिव्यांगता, 20–एसिड अटैक पीड़ित, 21–पार्किंसंस रोग से पीड़ित करें।

(द) क्रमांक–18 ((उपहृत विषय)–परीक्षार्थी द्वारा चयनित विषयों के कोड तथा नाम अंकित करें।

(ध)क्रमांक–19 (अल्पसंख्यक कोड)–परीक्षार्थी जिस अल्पसंख्यक समुदाय के हों उस पर टिक (✓) करें।

(न) क्रमांक–20 (परीक्षा का माध्यम)–परीक्षार्थी जिस माध्यम से परीक्षा देना चाहता है, उस माध्यम को टिक (✓) करें।

(प) क्रमांक–21 (पूर्व परीक्षा विवरण)–परीक्षार्थी पूर्व परीक्षा का विवरण भरें, जिस आधार पर इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह है। (सत्यापित अंकपत्र संलग्न करें)

(फ) क्रमांक–22 (परीक्षार्थी विवरण)–परीक्षार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ग्राम/मोहल्ला इत्यादि विवरण भरें।

(ब) क्रमांक–23 (व्यक्तिगत विनियम परीक्षार्थी हेतु)–व्यक्तिगत विनियम परीक्षार्थी कक्षा 12 उत्तीर्ण विषयों की अंकना करें।

नोट: उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त आई0सी0आर0 आवेदन–पत्र के अवशेष स्तम्भों में माँगा गया विवरण अंकित करें।

अवरोध, स्थानान्तरण तथा स्वीकृति

(1) किसी भी परीक्षार्थी का आवेदन–पत्र, जिसको वर्ष 2023 की हाईस्कूल/इण्टर परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया गया हो, किसी भी दशा में अग्रसारित न किया जाय। इस सम्बन्ध में विशेष रूप से सतर्कता बरतनी चाहिए।

(2) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के आवेदन–पत्र परिषद् में पहुँच जाने के बाद किसी भी परीक्षार्थी का विद्यालय/परीक्षा केन्द्र परिवर्तित नहीं किया जाता है। विशेष परिस्थिति में परीक्षार्थी के पिता/अभिभावक के स्थानान्तरण होने की स्थिति में विद्यालय परिवर्तन का प्रार्थना–पत्र सभी पुष्ट प्रमाणों सहित मुख्य शिक्षा अधिकारी की संस्तुति के साथ परिषद् कार्यालय में परिषद् द्वारा निर्धारित तिथि तक पहुँचना अनिवार्य है। परिषद् से स्वीकृति मिलने के बाद ही परीक्षार्थी का दूसरे विद्यालय में प्रवेश सम्भव होगा। परिषद् द्वारा निर्धारित तिथि के बाद की तिथियों में प्राप्त प्रार्थना–पत्रों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(3) परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को बोर्ड की किसी परीक्षा में सम्मिलित होने से उन परीक्षार्थियों को रोकने का अधिकार नहीं है जो परीक्षा के लिए निर्धारित नियमों का पूर्णतया प्रतिपालन करते हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिन छात्रों का कार्य अत्यन्त असन्तोषजनक हो तो विनियम 5(10), अध्याय–12 के अन्तर्गत कुल छात्रों के योग का 10 प्रतिशत तक ही छात्र प्रधानाचार्य द्वारा रोके जा सकते हैं। (10 प्रतिशत से तात्पर्य है कि यदि 99 छात्र विद्यालय में हैं तो उनमें से केवल 09 छात्र ही उक्त विनियमों के अन्तर्गत रोके जा सकते हैं, 10 छात्र कदापि नहीं रोके जा सकते)। मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को इसका प्रयोग परीक्षा आरम्भ होने के तीन सप्ताह पूर्व तक ही करने का अधिकार है। ऐसे छात्रों की सूची परिषद् कार्यालय को यथासमय प्रेषित करनी चाहिए। सम्बन्धित छात्र अथवा उनके अभिभावक को रोकने की आज्ञा के दिन से एक सप्ताह के भीतर ही इस सम्बन्ध में सूचना कर देनी चाहिए। इस विनियम के अन्तर्गत रोकने की सूचना इस कार्यालय को भेजने के पश्चात् आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।

(4) प्रधानाचार्य को अधिकार होगा कि वे विनियम 5(11), अध्याय–12 के अन्तर्गत उन छात्रों को भी परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक सकते हैं, जिन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग, एन0सी0सी0 आदि के लिए विद्यालय से प्राप्त वस्तुएं व वर्दी को मूल रूप से वापस अथवा उसके देय का भुगतान 15 फरवरी, 2023 तक न किया हो। ऐसे छात्रों को विनियम के अन्तर्गत अवरुद्ध करते हुए सूचना परिषद् कार्यालय को भेज दें। सूचना भेजने के पश्चात् यदि कोई छात्र वांछित सामग्री अथवा उसके देय का भुगतान करते हैं तो तत्काल इस कार्यालय को पुनः सूचित करें। इस कार्यालय की अनुमति प्राप्त होने पर ही छात्र को परीक्षा में सम्मिलित करायें।

(5) उपस्थिति की कमी वाले छात्रों, जिन्हें परीक्षा में सम्मिलित नहीं करना है, के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि तक उनके प्रवेश–पत्र सहित इस कार्यालय को अवश्य प्रेषित कर दें। आप द्वारा विवरण प्राप्त होने पर आपको विस्तृत निर्देश अलग से भेजे जायेंगे, जिनका बड़ी सतर्कता से पालन करें।

(6) उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त यदि कोई परीक्षार्थी किसी अन्य कारण से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहा है तो उसका विवरण भी इस कार्यालय को प्रेषित करें। यह स्पष्ट अंकित किया जाय कि वह अभ्यर्थी परीक्षा में किन कारणों से सम्मिलित नहीं हो रहा है। जिन परीक्षार्थियों के केन्द्र परिवर्तन कर दिये गये हैं, उनका विवरण इस प्रपत्र पर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्रुतलेखक की नियुक्ति के सम्बन्ध में

श्रुतलेखक की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक निर्धारित फार्म होता है। इसे केन्द्र व्यवस्थापक अथवा मुख्य शिक्षा अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। इस फार्म पर श्रुतलेखक की नियुक्ति के सम्बन्ध में सभी नियम छपे रहते हैं। स्थायी दिव्यांग या दृष्टिबाधित छात्रों हेतु परीक्षा आवेदन–पत्र के साथ ही श्रुतलेखक हेतु प्रपत्र भरकर अग्रसारित करना चाहिए।

प्रधानाचार्य यदि किसी छात्र के स्थान पर श्रुतलेखक की नियुक्ति कराना वांछनीय समझते हैं तो उन्हें चाहिए कि वह परीक्षा आवेदन-पत्र में दिये गये नियमों को भली–भाँति पढ़ें तथा छात्र की आवश्यकता से पूर्णतया सन्तुष्ट हो लें कि उसके लिए श्रुतलेखक की नियुक्ति नियम के अन्तर्गत है, तभी वे इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करें।

स्मरण रहे कि श्रुतलेखक की नियुक्ति नियमानुसार ही हो सकती है।

सामान्य नियम

(क) **2024** में होने वाली हाईस्कूल/इण्टर परीक्षा का कार्यक्रम निश्चित अवधि पर प्रकाशित होगा। कार्यक्रम की प्रतिलिपियां ऑनलाइन नामावली के साथ आपको भेजी जायेंगी। टंकण की परीक्षायें परीक्षा केन्द्र में होंगी न कि आपके विद्यालय में।

(ख) आन–लाईन आवेदन–पत्र के साथ निर्धारित सलग्नक अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा तथा स्मारिका, कोष–पत्र (चालान) तथा संख्या सूचक चक प्रपत्र एक साथ इस कार्यालय को प्रेषित किये जायेंगे।

(ग) उन छात्रों के आवेदन–पत्र, जिनके वर्ष **2023** अथवा उससे पूर्व किसी वर्ष की परीक्षा के परीक्षाफल रुके हैं, अस्थाई रूप से प्रेषित किये जा सकते हैं किन्तु उनका उल्लेख स्मारिका से सम्बन्धित स्तम्भ में अवश्य कर दिया जाय तथा प्राप्त आवेदन–पत्र पर प्रधानाचार्य स्वयं लाल रोशनाई से उपरोक्त तथ्य का उल्लेख कर दें।

नोट :– प्रधानाचार्य छात्रों के कक्षा–9 तथा कक्षा- 11 में प्रवेश लेते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक देख लें कि छात्रों का प्रवेश अनियमित तो नहीं चल रहा है। अनियमित प्रवेश कराये गये छात्रों के आवेदन–पत्रों को अग्रसारित कर देने से शासन एवं परिषद् के समक्ष विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन सब त्रुटियों का कारण प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों के प्रवेश के समय पूर्ण जाँच न करना अथवा अभिलेखों का परीक्षण करने में शिथिलता बरतना ही है। वे प्रधानाचार्य जो अनियमित छात्रों का कक्षा-9 तथा कक्षा–11 में प्रवेश करने एवं उनके आवेदन–पत्र परिषद् की परीक्षाओं के लिए अग्रसारित करने के दोषी पाये जायेंगे, उन्हें 03 वर्षों के लिए परिषद् के समस्त पारिश्रमिक कार्यों से वंचित कर दिया जायेगा तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की भी संस्तुति की जायेगी। अतः प्रधानाचार्य द्वारा इस ओर विशेष सावधानी बरतनी वांछनीय है।

(घ) 1. हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो विनियमों के अन्तर्गत किसी अन्य विषय/विषयों से पुनः हाईस्कूल परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है वह अन्य विषय/विषयों से परीक्षा आवेदन–पत्र तभी अग्रसारित करा सकेगा जब उसके द्वारा उस विषय/विषयों में कक्षा 9 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो। ऐसा परीक्षार्थी यदि सफल हो जाय तो वह अतिरिक्त लिये उत्तीर्ण विषय अथवा विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र पाने का अधिकारी होगा और उसे कोई श्रेणी नहीं दी जायेगी।

2. इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो विनियमों के अन्तर्गत किसी अन्य विषय/विषयों/विषय वर्ग से पुनः इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है वह अन्य विषय/विषयो/विषय वर्ग से परीक्षा आवेदन- पत्र तभी अग्रसारित करा सकेगा जब उसके द्वारा उस विषय/विषयों/विषय वर्ग में कक्षा 11 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो। ऐसा परीक्षार्थी यदि सफल हो जाय तो वह अतिरिक्त लिये उत्तीर्ण विषय अथवा विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र पाने का अधिकारी होगा और उसे कोई श्रेणी नहीं दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि विषय अथवा विषयों का चुनाव केवल एक वर्ग तक ही सीमित हो।

3- इस विनियम के अन्तर्गत सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी उन विषय अथवा विषयों का चयन नहीं कर सकेंगे, जो उनके द्वारा पूर्व की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में, जिसमें वह उत्तीर्ण हुए थे, लिये गये थे। साथ ही परीक्षार्थी आधुनिक भारतीय, विदेशी तथा शास्त्रीय भाषा समूहों के प्रत्येक समूह में से केवल एक ही भाषा का चयन कर सकेंगे। वही भाषा उपहृत की जायेंगी जिनका विद्यालय में पूर्व से ही अध्यापन हो रहा है।

4. परीक्षार्थी इस विनियम के अन्तर्गत एक बार में केवल एक ही परीक्षा (हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट) में प्रविष्ट हो सकेंगे।

5. हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी इस विनियम के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे।

6. मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डों की सूची प्रधानाचार्यों/अग्रसारण अधिकारियों के सुलभ संदर्भ हेतु मुद्रित की गई है। संस्थागत/व्यक्तिगत आवेदन पत्रों के प्रेषण से पूर्व उक्त सूची का अनिवार्यतः अध्ययन कर लिया जाय।

परिषद् कार्यालय को भेजे जाने वाले संलग्न–प्रपत्र

क्र0सं0	हाईस्कूल	इण्टरमीडिएट
(1)	(क) व्यक्तिगत आई0सी0आर0 आवेदन पत्र तथा कोष पत्र (मूल रूप मे)	(क) व्यक्तिगत आई0सी0आर0 आवेदन पत्र तथा कोष पत्र (मूल रूप में)
	(ख) संस्थागत आई0सी0आर0 आवेदन पत्र की 01 प्रति तथा कोष पत्र (मूल रूप में)	(ख) संस्थागत आई0सी0आर0 आवेदन पत्र की 01 प्रति तथा कोष पत्र (मूल रूप में)
(2)	स्मारिका	स्मारिका
(3)	संख्या सूचक चक्र	संख्या सूचक चक्र

नोट–उपरोक्त प्रपत्र ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र पूर्ण होने के उपरान्त ही इस कार्यालय को प्रेषित किये जायेंगे।

हाईस्कूल परीक्षा, के संस्थागत/व्यक्तिगत पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों हेतु विषय सम्बन्धी निर्देश–

(प्रथम दो वर्षीय पाठ्यक्रम कक्षा 9 एवं 10)

हाईस्कूल सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी की नीचे दिए गये 05 अनिवार्य विषयों में परीक्षा ली जायेगी :–

(1) हिन्दी (विषय कोड–001),

(2) एक आधुनिक भारतीय भाषा {गुजराती, उर्दू (004), पंजाबी (005), बंगाली (006), मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम, मणिपुरी, लिम्बो, लेप्चा, भोटिया, मीजो} परिषद् द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत।

अथवा

एक विदेशी भाषा {अंग्रेजी (021), जर्मन, रूसी, तिब्बती, नेपाली (025), पुर्तगाली, स्पेनिश} परिषद् द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत।

अथवा

एक शास्त्रीय भाषा {संस्कृत (028), अरबी, फारसी} परिषद् द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत।

(3) गणित (031) अथवा गृह विज्ञान (032) {गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए},

(4) विज्ञान (033)

(5) सामाजिक विज्ञान (034)

(6) कार्यानुभव एवं उद्यमिता विकास (047)

(7) कला शिक्षा (048)

(8) योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा (049)

(9) अतिरिक्त विषय–

(क) **एक आधुनिक भारतीय भाषा** : गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम, मणिपुरी, लिम्बो, लेप्चा, भोटिया, मीजो (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या–2 पर नहीं लिया गया है), परिषद् द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत।

अथवा

एक आधुनिक विदेशी भाषा : अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, तिब्बती, नेपाली, पुर्तगाली, स्पेनिश, (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या–2 पर नहीं लिया गया है), परिषद् द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत।

अथवा

एक शास्त्रीय भाषा : संस्कृत, अरबी, फारसी, (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या–2 पर नहीं लिया गया है), परिषद् द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत।

अथवा

(ख) संगीत–

(1) हिन्दुस्तानी संगीत (गायन) – 035

(2) हिन्दुस्तानी संगीत (मेलोडिक वादन) – 036

(3) हिन्दुस्तानी संगीत (पर्कसन वादन)– 037

(4) कर्नाटक संगीत (गायन) – 038

(5) कर्नाटक संगीत (मेलोडिक वादन) – 039

(6) कर्नाटक संगीत (पर्कसन वादन) – 040

(ग) रंजन कला (041)

(घ) वाणिज्य–

(1) व्यापारिक तत्व (042)

(2) बहीखाता एवं लेखाशास्त्र (043)
(3) टंकण (044)
(ङ) गृह विज्ञान (045) {बालकों के लिए तथा उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या–3 पर नहीं लिया है}।
(च) सूचना प्रौद्योगिकी (046)
(छ) कृषि (050)
(ज) व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक विषय)–
(1) आईटीईएस (052)
(2) ऑटोमोटिव (053)
(3) रिटेल (054)
(4) हेल्थ केयर (055)
(5) सिक्यूरिटी (056)
(6) टूरिज्म (057)
(7) ब्यूटी एण्ड वैलनेस (058)
(8) एग्रीकल्चर (060)
(9) इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर (061)
(10) मल्टीस्किलिंग (062)
(11) प्लम्बर (063)
(झ) शारीरिक शिक्षा (059)

टिप्पणी : नेत्रहीन परीक्षार्थियों हेतु प्रश्न–पत्र तीन घण्टे के स्थान पर चार घण्टे का होगा।

(1) उपर्युक्त पाठ्यचर्या के अनुसार कक्षा 9 तथा कक्षा 10 का पाठ्यक्रम पृथक–पृथक निर्धारित है। कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के आधार पर निर्देशानुसार परीक्षा ली जायेगी तथा विद्यालय स्तर पर ही आन्तरिक मूल्यांकन होगा। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के आधार पर हाईस्कूल की सार्वजनिक परीक्षा परिषद् द्वारा आयोजित होगी।

(2) कक्षा 9 तथा कक्षा 10 में विद्यालय स्तर पर गणित एवं सामाजिक विज्ञान में 20 अंकों का आन्तरिक मूल्यांकन होगा। विज्ञान तथा गृह विज्ञान एवं अतिरिक्त विषयों यथा सूचना प्रौद्योगिकी, संगीत, कृषि, शारीरिक शिक्षा में प्रयोगात्मक कार्य भी विद्यालय स्तर पर सम्पन्न होगा। आन्तरिक मूल्यांकन/प्रयोगात्मक कार्य विद्यालय स्तर पर सम्पन्न होने के उपरान्त अंक परिषद् कार्यालय रामनगर (नैनीताल) को यथा निर्देशानुसार प्रेषित किये जायेंगे।

(3) कार्यानुभव एवं उद्यमिता विकास;, कला शिक्षा; तथा योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा में विद्यालय स्तर पर ग्रेड प्रदान किया जायेगा। इनमें A, B, C, D, तथा E ग्रेड दिया जाना है। E ग्रेड प्राप्त अभ्यर्थियों का परीक्षाफल रोका जायेगा। अतः E ग्रेड की सूचना परिषद् कार्यालय को दी जायेगी।

(4) समस्त अध्यापकों को, जो हाईस्कूल परीक्षा के लिए अध्यापन कार्य हेतु नियुक्त हों, डायरियां तैयार करनी होंगी, जिनमें उनके द्वारा पढ़ाये गये प्रत्येक विषय में हुआ कार्य दिखाया जायेगा। इन डायरियों का मौखिक अथवा क्रियात्मक परीक्षकों अथवा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा जो परिषद् द्वारा नियुक्त किये गये हों, निरीक्षण किया जायेगा।

(5) उप–सात्रिक परीक्षाओं के लिए बनाये गये प्रश्न–पत्रों तथा समस्त परीक्षार्थियों की लिखित उत्तर पुस्तकों का भी परीक्षण इस ढंग से तथा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि परिषद् निर्देश दे।

(6) समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों के शिक्षण का माध्यम हिन्दी होगा। हाईस्कूल परीक्षा के समस्त परीक्षार्थी भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों के प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में देंगे, इस प्रतिबन्ध के साथ कि परिषद् के सभापति तथा विभाग के ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें वह इस सम्बन्ध में अधिकार दे दें, स्वमति से उन परीक्षार्थियों को, जिनकी मातृ भाषा हिन्दी नहीं है, अंग्रेजी अथवा उर्दू में प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दे सकते हैं। भाषाओं को छोड़कर समस्त विषयों के प्रश्न–पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में बनाये जायेंगे।

टिप्पणी :–

(1) भाषाओं में परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर सम्बन्धित भाषा में तथा तत्सम्बन्धी लिपि में देंगे, जिससे प्रश्न पत्र का सम्बन्ध है, जब तक कि प्रश्न–पत्र में ही उसके प्रतिकूल उल्लेख न हो।

(2) परिषद् के सभापति ने विनियम–9, अध्याय–13 के अनुसरण में संस्थाओं के प्रधानों तथा केन्द्र अधीक्षकों को निम्नलिखित वर्गों के परीक्षार्थियों को परीक्षाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में अंग्रेजी में प्रश्न–पत्रों का उत्तर देने की अनुमति देने का अधिकार दे दिया है :–

{क} परीक्षार्थी, जिनकी मातृ भाषा हिन्दी न होकर एक अन्य भाषा है।
{ख} परीक्षार्थी, जिन्होंने वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषय (गणित सहित) लिए हैं।
{ग} आंग्ल भारतीय संस्थाओं से आने वाले परीक्षार्थी।

इण्टरमीडिएट परीक्षा, 2024 के संस्थागत/व्यक्तिगत पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों हेतु विषय सम्बन्धी निर्देश–

(प्रथम दो वर्षीय पाठ्यक्रम कक्षा 11 एवं 12)

नोट–कृषि वर्ग को छोड़कर शेष अन्य वर्गों में विषय संयोजन 1+3+1 के अनुरूप होगा, प्रथम विषय के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा का विकल्प होगा। शेष तीन विषय उसी वर्ग के लिये जायेंगे जिस वर्ग का चयन अभ्यर्थी करेगा। पाँचवें विषय का चयन अभ्यर्थी कृषि वर्ग को छोड़कर किसी अन्य वर्ग से एक विषय अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा भाषाओं हेतु विहित पाठ्यक्रम में से कोई एक विषय अथवा अपने वर्ग से कोई एक विषय में से करेगा। कृषि वर्ग के परीक्षार्थी केवल कृषि वर्ग के ही विषयों का चयन करेंगे। वर्गवार विषय तथा उनके कोड निम्नवत् हैं–

इण्टरमीडिएट परीक्षा के विषय एवं विषयों के कोड

प्रथम अनिवार्य विषय	
विषय कोड	विषय
101/ 103	हिन्दी/ अंग्रेजी
102	हिन्दी (केवल कृषि वर्ग के लिये)
भाषा–पंचम विषय हेतु	
103	अंग्रेजी
105	संस्कृत
106	उर्दू
107	पंजाबी
108	बंगाली
109	नेपाली
मानविकी वर्ग	
110	इतिहास
111	भूगोल
112	अर्थशास्त्र
113	गृह विज्ञान
114	हिन्दुस्तानी संगीत गायन
115	हिन्दुस्तानी संगीत (मैलोडिक वादन)
116	हिन्दुस्तानी संगीत (पर्कसन वादन)
117	कर्नाटक संगीत गायन
118	कर्नाटक संगीत (मैलोडिक वादन)
119	कर्नाटक संगीत (पर्कसन वादन)
120	ड्राइंग एवं पेंटिंग
121	राजनीति विज्ञान
122	मनोविज्ञान
123	समाजशास्त्र
124	शिक्षाशास्त्र
125	तर्कशास्त्र
126	सैन्य विज्ञान
127	भूगर्भ विज्ञान
128	गणित
144	कम्प्यूटर
145	आईटीईएस
146	ऑटोमोटिव
147	रिटेल
148	हेल्थ केयर
149	सिक्यूरिटी
150	टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी

151	ब्यूटी एण्ड वैलनेस
152	शारीरिक शिक्षा
153	एग्रीकल्चर
154	इलेक्ट्रानिक एवं हार्डवेयर
155	मल्टीस्किलिंग
156	प्लम्बर
विज्ञान वर्ग	
128	गणित
129	भौतिक विज्ञान
130	रसायन विज्ञान
131	जीव विज्ञान
144	कम्प्यूटर
वाणिज्य वर्ग	
112	अर्थशास्त्र
128	गणित
132	एकाउण्टेन्सी
133	व्यवसाय अध्ययन
144	कम्प्यूटर
कृषि वर्ग भाग–1	
134	कृषि शस्य विज्ञान
135	कृषि वनस्पति विज्ञान
136	कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान
137	कृषि अभियंत्रण
138	कृषि गणित एवं प्रारम्भिक सांख्यिकी
कृषि वर्ग भाग–2	
139	कृषि शस्य विज्ञान
140	कृषि अर्थशास्त्र
141	कृषि जन्तु विज्ञान
142	कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान
143	कृषि रसायन विज्ञान

नोट:–1. (अ) भूगोल तथा भूगर्भ विज्ञान में से अभ्यर्थी केवल एक विषय का चयन कर सकेंगे।
(ब) मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र तथा तर्कशास्त्र में से अभ्यर्थी केवल एक विषय का चयन कर सकेंगे।
(स) संगीत के विषय कोड 114 से 119 तक में से अभ्यर्थी केवल एक विषय का चयन कर सकेंगे।

2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में दो से अधिक भाषाएँ उपहृत नहीं की जा सकती है। वही भाषाएँ उपहृत की जायेंगी जिनका विद्यालय में पूर्व से ही अध्यापन हो रहा है।

3. वाणिज्य वर्ग वाले अभ्यर्थियों को विषय कोड संख्या 132 तथा 133 उपहृत करना अनिवार्य है।

4. कृषि वर्ग में हिन्दी (कोड–102) भाषा लेना अनिवार्य होगा। भाषा विषय की परीक्षा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के आधार पर भाग–2 की परीक्षा के साथ ली जायेगी।

5. विषय कोड 145 से 156 तक के विषयों का चयन तब तक नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि विद्यालय में आवश्यक आधारभूत संरचना (**Infrastructure**) उपलब्ध नहीं हो जाती।

आवश्यक निर्देश (व्यक्तिगत परीक्षार्थी) परीक्षा वर्ष

सन् 2024 की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के I.C.R. आवेदन–पत्र अग्रसारित करने वाले प्रेषक अधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देश :–

विशेष निर्देश :–अग्रसारण अधिकारी अपूर्ण एवं अशुद्ध आवेदन–पत्रों को किसी भी दशा में अग्रसारित नहीं करेंगे। कोई भी परीक्षार्थी किसी भी दशा में दो विद्यालयों से अपना संस्थागत अथवा व्यक्तिगत आवेदन–पत्र अग्रसारित नहीं करायेगा, अपितु प्रत्येक दशा में किसी भी परीक्षा हेतु केवल एक आवेदन–पत्र भर कर जमा करेगा। दो आवेदन–पत्र जमा करने पर दोनों आवेदन–पत्र अध्याय 12, विनियम 8 (2) के अन्तर्गत निरस्त कर दिए जायेंगे।

टिप्पणी :–व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन–पत्रों के सम्पूर्ण निरीक्षण तथा ठीक प्रकार से भरे जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व अग्रसारण अधिकारी पर ही होगा। असावधानीपूर्ण एवं अनियमित कार्य करने पर अग्रसारण अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। आवेदन–पत्रों पर आप द्वारा दिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा। आवेदन पत्र के पृष्ठ संख्या–02 पर अंकित प्रमाण–पत्र में अग्रसारण अधिकारी अपना निर्णय अवश्य अंकित करें।

(क) उत्तराखण्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 9 अथवा 11 उत्तीर्ण संस्थागत तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी अथवा उत्तराखण्ड के अतिरिक्त अन्य राज्यों के समकक्ष मान्य शिक्षा बोर्ड/शिक्षा विभाग द्वारा संचालित अथवा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी ही उन विषयों से, जिनसे उसने यथा स्थिति कक्षा 9 अथवा कक्षा 11 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, परिषद् की हाईस्कूल अथवा इण्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होगा। पूर्व वर्षों में हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे अभ्यर्थी, उन्हीं विषयों से पुनः परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, जिनसे वे पूर्व परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हैं। विषय परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यहां पर यह भी सुनिचित कर लिया जाय कि परीक्षार्थी द्वारा हाईस्कूल परीक्षा हेतु कक्षा 9 तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा हेतु कक्षा–11 अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण किया हो।

(ख) कक्षा 9 तथा 11 की क्रमांक–क में अंकित परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा तथा अन्य राज्यों के मान्य शिक्षा बोर्डों/शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को उस मुख्य शिक्षा अधिकारी अथवा मण्डलीय शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अंकपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा जहाँ से अभ्यर्थी द्वारा कक्षा–9 अथवा कक्षा–11 की परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है।

(ग) असंगत अथवा अर्हता सम्बन्धी प्रपत्रों के अभाव में आवेदन पत्र पूर्ण नहीं किया जा सकेगा, आवेदन–पत्र अस्वीकार करने का कारण लिखित रूप में परीक्षार्थी को प्रप्त करा दें तथा इसकी आख्या परिषद् कार्यालय को प्रेषित करें।

परीक्षा काल में परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर किये जाने वाला उपस्थित पत्रक परीक्षा समाप्ति पर परीक्षा प्रभारी व केन्द्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर होने के बाद, परिषद् कार्यालय को सील्ड लिफाफे में भेजा जायेगा।

परीक्षा आरम्भ के पूर्व प्रत्येक प्रेषक अधिकारी के पास सम्बन्धित परीक्षार्थियों की मुद्रित नामावली भेजी जायेगी, जिसके साथ ही प्रवेश पत्रों का वितरण करने, परीक्षार्थियों के आवेदन–पत्र रद्द करने के सम्बन्ध में अलग से निर्देश भेजे जायेंगे। मुद्रित नामावली में अंकित अनुक्रमांक से परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होगा।

(ङ) व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र अग्रसारण केन्द्र से दूसरे केन्द्र पर परिवर्तित किया जा सकता है। अतः परीक्षार्थियों को सूचित किया जाय कि वे परिवर्तित केन्द्र की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें जिससे परीक्षार्थियों को कठिनाई न हो। केन्द्र परिवर्तन की सूचना परिषद् कार्यालय से परीक्षार्थियों को नहीं भेजी जा सकेगी।

(च) अपूर्ण एवं असंगत आवेदन–पत्र कदापि स्वीकार न करें तथा ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन–पत्र अस्वीकार करने का कारण लिखित रूप में दे दें। किन्तु आवेदन–पत्र किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस न करें।

(छ) आप अपने केन्द्र पर अपने विद्यालय के किसी कर्मचारी या अध्यापक का नाम पंजीकृत न कीजिए। यदि आपके विद्यालय के किसी कर्मचारी या अध्यापक का अथवा किसी कर्मचारी के पाल्यों का लिखित परीक्षा केन्द्र आपके ही विद्यालय में है तो इसकी पूर्व सूचना अपने जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से परिषद् कार्यालय को तुरन्त दे दें।

(ज) परीक्षार्थियों को आवेदन–पत्र के निर्धारित स्थानों पर पासपोर्ट साइज का चित्र लगाना अनिवार्य है।

(झ) परीक्षार्थियों का चित्र व हस्ताक्षर तथा प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपियां अग्रसारण केन्द्र के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। प्रथम सहायक द्वारा प्रमाणित चित्र व हस्ताक्षर मान्य न होंगे। किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित संलग्नक व चित्र भी मान्य नहीं किये जायेंगे। अतः आवेदन–पत्रों के साथ अपलोड किये जाने वाले संलग्नकों को प्रमाणित करने के उपरान्त ही उनकी प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखें ताकि परिषद् कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करायी जा सके।

आवेदन-पत्र के साथ जितने भी प्रमाण-पत्र अपलोड/संलग्न किये गये हों, उनपर परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। फाटोस्टेट प्रति अग्रसारण अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। छात्र स्थानान्तरण प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति किसी भी दशा में मान्य न करें तथा मूल प्रतिहस्ताक्षरित प्रति प्राप्त कर विद्यालय में सुरक्षित रखें। प्रत्येक अभ्यर्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित टी0सी0 संलग्न करना अनिवार्य है। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी अंक-पत्र की फोटो प्रति अग्रसारण अधिकारी से सत्यापित कर उपलब्ध करायेंगे।

(ञ) अभ्यर्थी के प्रयोगात्मक विषयों की परीक्षाएं प्रथम फरवरी से आयोजित होनी हैं। परीक्षार्थी को प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु कोई सूचना परिषद् कार्यालय से नहीं दी जायेगी। अग्रसारण अधिकारी अभ्यर्थी को प्रथम फरवरी से विद्यालय के सम्पर्क में रहने का निर्देश दे दें ताकि प्रयोगात्मक परीक्षा में अभ्यर्थी उपस्थित रह सके।

(ठ) कोष-पत्र में बैंक की मुहर से दिनांक पढ़ने में नहीं आता है। अतः दिनांक का विशेष ध्यान रखा जाना है। दिनांक स्पष्ट न होने की स्थिति में चालान में दिनांक ठीक कराकर ही उसे स्वीकार करें।

(ड) अग्रसारण अधिकारी द्वारा परीक्षार्थी के फार्म की संख्या परीक्षार्थी के I.C.R आवेदन-पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित करना अनिवार्य है।

(ढ) अग्रसारण अधिकारी निर्देश पुस्तिका के पृष्ठ में दी गई समय सारणी के अनुसार आवेदन-पत्र समय से पूरित करवा लें, पूर्व की आफलाईन व्यवस्था में कतिपय प्रधानाचार्यों द्वारा निर्धारित समय सीमा के उपरान्त भी आवेदन-पत्र अग्रसारित कर दिये थे इससे वैधानिक कठिनाई आती है।चूंकि वर्ष **2024** में परीक्षा आवेदन-पत्र भरे जाने की कार्यवाही आनलाईन की जा रही है अतः निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के उपरान्त कोई आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं होगा। निर्धारित तिथि के बाद यदि किसी परीक्षार्थी का आवेदन पत्र पूरित नहीं हो पाता है तो इसके लिये सम्बन्धित प्रधानाचार्य/अग्रसारण अधिकारी उत्तरदायी होगा।
(ण) निर्धारित तिथि तक आपने जितने भी आवेदन-पत्र अग्रसारित करने हेतु प्राप्त किए हैं उनकी (बालक एवं बालिका) सूचना 30 सितम्बर को ही आप अपने मुख्य शिक्षा अधिकारी को अवश्य दे दें।
(त) कभी-कभी यह देखा गया है कि प्रेषक अधिकारी अपने केन्द्र पर व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन- पत्र निर्धारित संख्या से अधिक पंजीकृत कर लेते हैं जो कि अनियमितता है। अतएव मुख्य शिक्षा अधिकारी ने आपके केन्द्र पर व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की जितनी संख्या निर्धारित की है, आप उससे अधिक एक भी आवेदन-पत्र स्वीकार न करें।
(थ) जिन परीक्षार्थियों का शुल्क वर्ष **2024** की परीक्षा के लिए सुरक्षित है, उनके आवेदन-पत्र के साथ शुल्क सुरक्षा का आज्ञा-पत्र, शेष व अतिरिक्त धन तथा रू0 05=00 अंकपत्र शुल्क एवं रू0 10=00 अग्रसारण शुल्क नत्थी होना चाहिए।
(द) उत्तराखण्ड की सीमा से बाहर रहने वाले परीक्षार्थियों को परिषद् की परीक्षाओं में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट होने की अनुमति दी जा सकती है। **<u>प्रतिबन्ध यह है कि वे अब भी उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी हों, किन्तु कतिपय अपरिहार्य कारणों से अन्य राज्यों में अस्थाई रूप से प्रवर्जित हो गये हो</u>**। ऐसे परीक्षार्थियों के आवेदन- पत्र सम्बन्धित राज्यों के जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अग्रसारित होने चाहिए, जिन्हें परीक्षार्थी के उत्तराखण्ड में पारम्परिक निवास को प्रमाणित करना चाहिए।

ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा शुल्क, अंकपत्र शुल्क तथा अग्रसारण शुल्क मुख्य शिक्षा अधिकारी के नाम से क्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर द्वारा भेजेंगे। अतएव आप उसे डाकखाने से भुनाकर निर्धारित तिथि के अन्दर परिषद् के खाते में जमा कर दें। यदि अनक्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर सचिव, उत्तराखण्ड, विद्यालयी शिक्षा परिषद् के नाम जमा किया गया है तो उसे परीक्षार्थी को वापस कर दें तथा अपने नाम का पोस्टल ऑर्डर बनवाइये। विधिवत् पूरित आवेदन-पत्र किसी भी दशा में परीक्षार्थी को न लौटायें। उन्हें स्वीकार करना ही होगा।

प्रेषक अधिकारियों से अनुरोध है कि परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्रों की जाँच तथा उनकी अर्हता पर विचार इस प्रपत्र में वर्णित निर्देशों एवं विवरण पत्रिका के आधार पर अवश्य कर लें क्योंकि राजाज्ञानुसार व्यक्तिगत परीक्षार्थियो के आवेदन-पत्रों से सम्बन्धित सभी प्रकार की कार्यवाही का पूर्ण उत्तरदायित्व आप पर ही होगा।

<u>प्रेषक अधिकारियों के लिए अंकपत्र शुल्क एवं निबन्धन शुल्क</u>

अंकपत्र शुल्क प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए रू0 10=00 अनिवार्य एवं समान है। प्रत्येक परीक्षार्थी से, चाहे वह सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हो अथवा किसी विनियम के अन्तर्गत, आप रू0 05=00 नकद रूप में अवश्य प्राप्त कर लें जिसका प्रयोग अंकपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया में डाक व्यय तथा लेखन सामग्री आदि की मदों में व्यय हेतु किया जाय। शेष रू0 05=00 कोष-पत्र द्वारा परीक्षा शुल्क के साथ जमा किया जाय।

विनियम-8, अध्याय-12 में विहित विधि से प्राप्त आवेदन-पत्र में विहित अर्हताओं तथा विनिर्दिष्ट प्रपत्र आदि की जाँच तथा समय से प्रेषण के लिए प्रेषक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। इस हेतु आप प्रत्येक परीक्षार्थी से केवल रू0 10=00 अग्रसारण शुल्क के रूप में परीक्षा शुल्क के साथ राजकोष में अवश्य जमा करायें, जो अग्रसारण अधिकारियों का पारिश्रमिक तथा उपर्युक्त कार्य में सहायक कर्मचारी को प्रत्येक परीक्षार्थी की दर से निर्धारित पारिश्रमिक के रूप में देय होगा। इस धनराशि को आप नकद के रूप में नहीं लेंगे, इसके भुगतान हेतु पारिश्रमिक पावना-पत्र बाद में बनाकर परिषद् कार्यालय को भेजेंगे। किसी भी दशा मे

अतिरिक्त पोस्टल व्यय भी लेने की अनुमति नहीं है। किसी भी व्यक्तिगत परीक्षार्थी से दान (डोनेशन), चन्दा अथवा बिल्डिंग फण्ड इत्यादि न लें। अपूर्ण अथवा अशुद्ध आवेदन- पत्र प्राप्त होने पर अग्रसारण अधिकारी के उपर्युक्त पारिश्रमिक में कटौती की जायेगी अथवा उसके विरुद्ध अन्य दण्डात्मक कार्यवाही परिषद् द्वारा की जायेगी। कोष–पत्र में परीक्षा शुल्क, अंकपत्र शुल्क तथा अग्रसारण शुल्क का अलग–अलग उल्लेख होना आवश्यक है।

ऐसे परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जिनके परीक्षाफल रोके गये हैं

वे परीक्षार्थी जिनके इस परिषद् की सन् 2023 या उसके पूर्व की परीक्षा के परीक्षाफल अभी तक रुके हुए हैं, तथा वे सन् 2024 की उसी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप उनके भी आवेदन–पत्र अस्थायी रूप से अवश्य स्वीकार कर लें। आप ऐसे प्रत्येक परीक्षार्थी के आवेदन–पत्र के ऊपर लाल रोशनाई से परीक्षाफल रोका गया (रिजल्ट विदहेल्ड) शब्द लिखना न भूलें तथा इसका उल्लेख स्मारिका में अवश्य कर दें। साथ ही ऐसे परीक्षार्थियों का उस वर्ष की परीक्षा का अनुक्रमांक एवं वर्ष का उल्लेख परीक्षार्थी के आवेदन–पत्र पर यथास्थान अवश्य करें।

विषयों का चयन

परीक्षार्थी को इण्टरमीडिएट तथा हाईस्कूल में पाँच अनिवार्य विषयों का चयन करना है। भली–भाँति देख लिया जाय कि परीक्षार्थी ने इन विषयों का चयन राजाज्ञानुसार किया है अथवा नहीं।

I.C.R आवेदन–पत्रों की जाँच

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन–पत्रों I.C.R. की जाँच अत्यन्त सतर्कता के साथ करनी चाहिए क्योंकि उनके आवेदन–पत्रों पर आप द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम रूप से माना जायेगा और प्रत्येक प्रकार की अनियमितता के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। सर्वप्रथम आप यह भली–भाँति जाँच कर लें कि वास्तव में परीक्षार्थी सन् 2024 की हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने का अधिकारी है अथवा नहीं। आवेदन–पत्रों की जाँच करते समय निम्नलिखित बातों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है :–

(क) परीक्षार्थी ने आवेदन–पत्र की सम्पूर्ण प्रविष्टियां पूर्ण रूप से भरी हैं।

(ख) परीक्षार्थी ने जिस स्थान पर काट–छाँट की हो अथवा कोई संशोधन या परिवर्तन किया हो, वहां पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

(ग) इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी ने अपने आवेदन–पत्र में जो भी सूचनाएं भरी है तथा प्रमाण–पत्र संलग्न किये हैं, वे यथार्थ एवं उचित हैं अथवा नहीं।

(घ) कक्षा 9 तथा 11 व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थी पूर्व कक्षा, जहाँ तक अभ्यर्थी ने संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में अध्ययन किया है, का प्रतिहस्ताक्षरित टी0सी0 प्रस्तुत करेंगे।

आवश्यक प्रमाण–पत्रों की केवल प्रमाणित प्रतिलिपियां ही संलग्न हों किन्तु प्रत्येक प्रमाण–पत्र की मूल प्रतियां आप स्वयं देख लें। परीक्षार्थियों की यथार्थ प्रतिलिपियों पर आप अपने हस्ताक्षर करके उन्हें प्रमाणित कर उन पर अपने विद्यालय की मुहर अवश्य लगा दें। टी0सी0 मूल रूप में संलग्न होगा। इसकी छायाप्रति मान्य नहीं है।

गतवर्षों में यह देखा गया है कि कतिपय अग्रसारण अधिकारियों ने यथार्थ प्रतिलिपियों पर केवल अपने हस्ताक्षर ही किये हैं अथवा उनमें केवल विद्यालय की मुहर ही लगी है। इससे अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हुई थी। यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रमाण–पत्रों की प्रतिलिपियों को प्रमाणित करने का अधिकार केवल अग्रसारण अधिकारियों को ही है, उनके विद्यालय के कर्मचारी अथवा अन्य सहायक अध्यापकों को कदापि नहीं।

इण्टर प्रयोगात्मक विषयों में सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कृषि वर्ग के प्रयोगात्मक विषय में व्यक्तिगत आवेदन–पत्र केवल जनपद मुख्यालय के राजकीय इण्टर कालेज अथवा मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित विद्यालय से ही अग्रसारित होने हैं। अग्रसारण अधिकारी इस बिन्दु पर विशेष ध्यान देंगे। जनपद में अन्य विद्यालय उक्त विषयों के आवेदन–पत्र अग्रसारित न करें। उक्त प्रयोगात्मक विषय में संस्थागत रूप से यदि अभ्यर्थी पंजीकृत है, उस स्थिति में ही उक्त विषयों के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन- पत्र अग्रसारित होंगे।

इण्टर प्रयोगात्मक विषयों के आवेदन–पत्र वही विद्यालय अग्रसारित करें, जिन्हें सम्बन्धित प्रयोगात्मक विषय की मान्यता प्राप्त हो। विषय की मान्यता न होने की स्थिति में प्रयोगात्मक विषय में आवेदन अग्रसारित कदापि न करें।

टिप्पणी :–जिन परीक्षार्थियों ने इस परिषद् अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है किन्तु वे अभी तक अपने प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं कर सके हों, अथवा उन्होंने उनकी द्वितीय प्रतिलिपि के लिए प्रार्थना की हो या उनके प्रमाण–पत्र इस कार्यालय में संशोधन के लिए आये हों तो ऐसी दशा में उन परीक्षार्थियों द्वारा सरकारी गजट की प्रतिलिपियां, अंकपत्र अथवा अस्थायी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उनके आवेदन–पत्र अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिए जायें और उन्हे निर्देश दिया जाय कि प्रमाण–पत्र प्राप्त करके उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्पूर्ण विवरण देते हुए, इस कार्यालय को अक्टूबर माह तक अवश्य प्रस्तुत कर दें अन्यथा उनका आवेदन–पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा।

आवेदन-पत्रों को क्रमबद्ध करना

आवेदन–पत्रों को परिषद् की विवरण पत्रिका के अध्याय–13 (हाईस्कूल) तथा 14 (इण्टरमीडिएट) में दिए हुए भिन्न–भिन्न वर्गों के अनुसार अलग–अलग छाँट लीजिए। प्रत्येक वर्ग के आवेदन–पत्रों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगा दीजिए। वर्गवार क्रम में महिला परीक्षार्थियों के आवेदन–पत्र पुरुष परीक्षार्थियों के बाद रखे जायें।

हाईस्कूल के आवेदन–पत्र निम्नलिखित ढंग से रखने चाहिए:–

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए आवेदन–पत्र (1) सम्पूर्ण परीक्षा (2) विनियमों के अन्तर्गत सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के आवेदन–पत्र।

इण्टरमीडिएट परीक्षा के आवेदन–पत्र निम्नलिखित ढंग से क्रमबद्ध करने चाहिए:–

(क) मानविकी वर्ग (ख) विज्ञान वर्ग (ग) वाणिज्य वर्ग (घ) कृषि वर्ग भाग–1 (ङ) कृषि वर्ग भाग–2 (च) विनियमों के अन्तर्गत सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के आवेदन–पत्र।

टिप्पणी :–आवेदन–पत्र के साथ सभी संलग्नकों को चस्पा कर अथवा नत्थी कर निम्न क्रमानुसार भेजना चाहिए:–

(1) कोष–पत्र मूल रूप में (2) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि/हाईस्कूल अंकपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि. (3) मूल रूप में स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (4) कक्षा 9 अथवा कक्षा 11 उत्तीर्ण अंकपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (5) अन्य प्रपत्र आदि।

संख्या सूचक–चक्र

संख्या सूचक–चक्र की जाँच बड़ी सावधानी एवं स्वच्छता के साथ करनी चाहिए। इसके त्रुटिपूर्ण होने के कारण परीक्षा के सुचारू रूप से सचालन में बाधा पड़ सकती है. क्योंकि विभिन्न विषयों के प्रश्न–पत्र तथा उत्तर पुस्तिकाएं केन्द्र पर इन्हीं प्रविष्टियों के आधार पर ही भेजे जाते हैं। यह ध्यान रहे कि आप द्वारा तैयार किया हुआ संख्या सूचक–चक्र ही प्रश्न–पत्र भेजने का आधार होता है। यदि संख्या सूचक–चक्र मे किसी प्रकार की अशुद्धि अथवा त्रुटि पाई गई और इसके कारण किसी विषय का प्रश्न–पत्र किसी केन्द्र पर न पहुँच सका तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व संख्या सूचक–चक्र भेजने वाले अधिकारी पर होगा। इसके खानों की पूर्ति अंग्रेजी अकों मे होनी चाहिए। भिन्न–भिन्न वर्गों के परीक्षार्थियों का विवरण संख्या सूचक–चक्र में वर्णित सम्बन्धित केन्द्र वर्ग के सामने ही लिखना चाहिए। संख्या सूचक–चक्र बनाने के पश्चात् उसकी जाँच विभिन्न अध्यापकों द्वारा कम से कम दो बार अवश्य करा लेनी चाहिए कि उसमें सम्बन्धित खाने की पूर्ति सही की गई है।

संख्या सूचक–चक्र बालक एवं बालिकाओं की संख्या पृथक–पृथक अंकित करते हुए दो प्रतियों में कार्बन के साथ बनाया जाय। ध्यान रहे दूसरी प्रति कार्बन प्रति हो।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा शुल्क, अंकपत्र शुल्क, अग्रसारण शुल्क व विलम्ब शुल्क तथा प्रव्रजन प्रमाण–पत्र शुल्क चालान द्वारा परिषद् के संगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा तथा उनके चालानों का विवरण स्मारिका में अवश्य अंकित करें।

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)।

21/7/22 21/7/22

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)
जनपदवार विकासखण्डों (ब्लॉकों) के नाम तथा कोड

जनपद हरिद्वार — जनपद कोड–101

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
1	बहादराबाद	01
2	भगवानपुर	02
3	खानपुर	03
4	लक्सर	04
5	नारसन	05
6	रुड़की	06

जनपद–देहरादून — जनपद कोड–102

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
1	चकराता	07
2	डोईवाला	08
3	कालसी	09
4	रायपुर	10
5	सहसपुर	11
6	विकासनगर	12

जनपद–उत्तरकाशी — जनपद कोड–103

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
1	भटवाड़ी	13
2	चिन्यालीसौड़	14
3	डुण्डा	15
4	मोरी	16
5	नौगाँव	17
6	पुरोला	18

जनपद–टिहरी गढ़वाल — जनपद कोड–104

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
1	भिलंगना	19
2	चम्बा	20
3	देवप्रयाग	21
4	जाखणीधार	22
5	जौनपुर	23
6	कीर्तिनगर	24
7	नरेन्द्रनगर	25
8	प्रतापनगर	26
9	थौलधार	27

जनपद–पौड़ी गढ़वाल — जनपद कोड–105

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
1	बीरोंखाल	28
2	दुगड्डा	29
3	द्वारीखाल	30
4	एकेश्वर	31
5	जयहरीखाल	32
6	कल्जीखाल	33
7	खिर्सू	34
8	कोट	35
9	नैनीडांडा	36
10	पाबौ	37
11	पौड़ी	38
12	पोखड़ा	39
13	रिखणीखाल	40
14	थलीसैंण	41
15	यमकेश्वर	42

जनपद–चमोली — जनपद कोड–106

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
1	दशोली	43
2	देवाल	44
3	गैरसैंण	45
4	घाट	46
5	जोशीमठ	47
6	कर्णप्रयाग	48
7	नारायणबगड़	49
8	पोखरी	50
9	थराली	51

जनपद–रूद्रप्रयाग — जनपद कोड–107

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
1	अगस्त्यमुनि	52
2	जखोली	53
3	ऊखीमठ	54

जनपद–पिथौरागढ़ — जनपद कोड–108

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
1	बेरीनाग	55
2	बिण	56
3	धारचूला	57
4	डीडीहाट	58
5	गंगोलीहाट	59
6	कनालीछीना	60
7	मूनाकोट	61
8	मुनस्यारी	62

जनपद चम्पावत — जनपद कोड–109

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
1	बाराकोट	63
2	चम्पावत	64
3	लोहाघाट	65
4	पाटी	66

जनपद अल्मोड़ा — जनपद कोड–110

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
1	भैसियाछाना	67
2	भिकियासैंण	68
3	चौखुटिया	69
4	धौलादेवी	70
5	द्वाराहाट	71
6	हवालबाग	72
7	लमगड़ा	73
8	सल्ट	74
9	स्याल्दे	75
10	ताकुला	76
11	ताड़ीखेत	77

जनपद–बागेश्वर — जनपद कोड–111

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
1	बागेश्वर	78
2	गरूड़	79
3	कपकोट	80

जनपद–नैनीताल — जनपद कोड–112

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
1	बेतालघाट	81
2	भीमताल	82
3	धारी	83
4	हल्द्वानी	84
5	कोटाबाग	85
6	ओखलकाण्डा	86
7	रामगढ़	87
8	रामनगर	88

जनपद–ऊधम सिंह नगर — जनपद कोड–113

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक कोड
1	बाजपुर	89
2	गदरपुर	90
3	जसपुर	91
4	काशीपुर	92
5	खटीमा	93
6	रुद्रपुर	94
7	सितारगंज	95

मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डों की सूची

निम्नलिखित परीक्षाएँ इण्टरमीडिएट परीक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए परीक्षार्थियों को प्रवेश का पात्र बनाने के उद्देश्य से परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष घोषित की जाती है:–

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है, की वे सार्वजनिक परीक्षाएँ, जो हाईस्कूल परीक्षा अथवा कक्षा 10वीं की सार्वजनिक परीक्षा के समकक्ष हैं।

(ख) भारत के विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के वे शिक्षा बोर्ड जो संसद/राज्य विधान मण्डल द्वारा अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित हैं अथवा भारतीय विद्यालयी शिक्षा बोर्ड मण्डल के सदस्य हैं, की हाईस्कूल परीक्षा अथवा कक्षा 10वीं की सार्वजनिक परीक्षा।

(ग) विदेशिक राष्ट्रों की वे परीक्षाएँ, जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी0बी0एस0ई0) द्वारा कक्षा 10वीं कक्षा के समकक्ष मान्य की गई हैं।

भारतीय शिक्षा बोर्ड मण्डल के सदस्य शिक्षा बोर्डों की वर्तमान सूची निम्नवत् है:–

1. बोर्ड ऑफ इण्टरमीडिएट एजुकेशन आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद।
2. बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद।
3. आसाम हॉयर सेकेण्ड्री एजुकेशन काउन्सिल, गुवाहाटी।
4. बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, आसाम।
5. बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड, पटना।
6. सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, दिल्ली।
7. छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, रायपुर।
8. छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल, रायपुर।
9. काउन्सिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन्स, नई दिल्ली।
10. गोवा बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एण्ड हायर सेकेण्ड्री एजुकेशन, गोवा।
11. गुजरात सेकेण्ड्री एण्ड हायर सेकेण्ड्री एजुकेशन बोर्ड, गाँधीनगर।
12. बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा, भिवानी।
13. हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, धर्मशाला।
14. जे एण्ड के स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जम्मू।
15. झारखण्ड एकेडमिक काउन्सिल, राँची।
16. गवर्नमेण्ट ऑफ कर्नाटक डिपार्टमेण्ट ऑफ प्रि–यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बैंगलौर।
17. कर्नाटक सेकेण्ड्री एजुकेशन एक्जामिनेशन बोर्ड, बैंगलौर।
18. केरल बोर्ड ऑफ पब्लिक एक्जामिनेशन परीक्षा भवन पूजापुरा, तिरूअनन्तपुरम।
19. केरल बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्ड्री एजुकेशन, तिरूअनन्तपुरम।
20. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एण्ड हायर सेकेण्ड्री एजुकेशन, पुणे।
21. बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन मध्य प्रदेश, भोपाल।
22. मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन कैम्पस, भोपाल।
23. बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
24. काउन्सिल ऑफ हायर सेकेण्ड्री एजुकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
25. मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मेघालय।
26. मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, आइजौल।
27. नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कोहिमा।
28. नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।

29. काउन्सिल ऑफ हायर सेकेण्ड्री एजुकेशन, उडीसा, भुवनेश्वर।
30. बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, उडीसा।
31. पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मोहाली।
32. बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, राजस्थान, अजमेर।
33. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर, राजस्थान।
34. तमिलनाडु स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एक्जामिनेशन, चेन्नई।
35. त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, अगरतला।
36. यू0पी0 बोर्ड ऑफ हाईस्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजुकेशन, इलाहाबाद।
37. बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल।
38. वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, कोलकाता।
39. वेस्ट बंगाल काउन्सिल ऑफ हायर सेकेण्ड्री एजुकेशन, कोलकाता।
40. वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, कोलकाता।
41. वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन, कोलकाता।
42. द वेस्ट बंगाल काउन्सिल ऑफ रबीन्द्र ओपन स्कूलिंग, कोलकाता।
43. बनस्थली विद्यापीठ।

उक्त के अतिरिक्त निम्न संस्थान भी मान्यता प्राप्त सूची में सम्मिलित हैः—

1. वर्ष 2002 से माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा।
2. वर्ष 2005 से उत्तरांचल शिक्षा एवम् परीक्षा परिषद/उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा।
3. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा।
4. गुरुकुल विश्वविद्यालय, कागड़ी (हरिद्वार) द्वारा संचालित विद्याधिकारी परीक्षा।
5. जामिया–मिलिया इस्लामिया, दिल्ली द्वारा संचालित जामिया उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (जो पहले जूनियर परीक्षा कहलाती थी), इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह खंडों में नहीं उत्तीर्ण की गई है।
6. वर्ष 2017 से उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्, देहरादून द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा।

निम्नलिखित परीक्षाएँ उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य होगीः—

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है, की वे सार्वजनिक परीक्षाएँ, जो इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा कक्षा 12वीं की सार्वजनिक परीक्षा के समकक्ष हैं।

(ख) भारत के विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशो के वे शिक्षा बोर्ड जो संसद/राज्य विधान मण्डल द्वारा अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित है अथवा भारतीय विद्यालयी शिक्षा बोर्ड मण्डल के सदस्य हैं, की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा कक्षा 12वीं की सार्वजनिक परीक्षा।

(ग) विदेशिक राष्ट्रों की वे परीक्षाएँ, जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी0बी0एस0ई0) द्वारा कक्षा 12वीं कक्षा के समकक्ष मान्य की गई हैं।

भारतीय शिक्षा बोर्ड मण्डल के सदस्य शिक्षा बोर्डों की वर्तमान सूची निम्नवत् हैः—

1. बोर्ड ऑफ इण्टरमीडिएट एजुकेशन आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद।
2. बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद।
3. आसाम हॉयर सेकेण्ड्री एजुकेशन काउन्सिल, गुवाहाटी।
4. बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, आसाम।
5. बिहार स्कूल एक्जामिनेशन्स बोर्ड, पटना।
6. सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, दिल्ली।
7. छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, रायपुर।
8. छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल, रायपुर।
9. काउन्सिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन्स, नई दिल्ली।
10. गोवा बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, गोवा।
11. गुजरात सेकेण्ड्री एण्ड हायर सेकेण्ड्री एजुकेशन बोर्ड, गाँधीनगर।
12. बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा, भिवानी।
13. हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, धर्मशाला।
14. जे एण्ड के स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जम्मू।
15. झारखण्ड एकेडमिक काउन्सिल, राँची।
16. गवर्नमेण्ट ऑफ कर्नाटक डिपार्टमेण्ट ऑफ प्रि—यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बैंगलौर।
17. कर्नाटक सेकेण्ड्री एजुकेशन एक्जामिनेशन बोर्ड, तिरूअनन्तपुरम।
18. कर्नाटक सेकेण्ड्री एजुकेशन एक्जामिनेशन परीक्षा भवन पूजापुरा, तिरूअनन्तपुरम।
19. केरल बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्ड्री एजुकेशन, तिरूअनन्तपुरम।
20. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एण्ड हायर सेकेण्ड्री एजुकेशन, पुणे।
21. बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन मध्य प्रदेश, भोपाल।
22. मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन कैम्पस, भोपाल।
23. बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
24. काउन्सिल ऑफ हायर सेकेण्ड्री एजुकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
25. मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मेघालय।
26. मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, आइजौल।
27. नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कोहिमा।
28. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।
29. काउन्सिल ऑफ हायर सेकेण्ड्री एजुकेशन, उड़ीसा, भुवनेश्वर।

30. बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, उड़ीसा।

31. पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मोहाली।

32. बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, राजस्थान, अजमेर।

33. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर, राजस्थान।

34. तमिलनाडु स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एक्जामिनेशन, चेन्नई।

35. त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, अगरतला।

36. यू0पी0 बोर्ड ऑफ हाईस्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजुकेशन, इलाहाबाद।

37. बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उत्तराखण्ड/उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल।

38. वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, कोलकाता।

39. वेस्ट बंगाल काउन्सिल ऑफ हायर सेकेण्ड्री एजुकेशन, कोलकाता।

40. वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, कोलकाता।

41. वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन, कोलकाता।

42. द वेस्ट बंगाल काउन्सिल ऑफ रबीन्द्र ओपन स्कूलिंग, कोलकाता।

43. बनस्थली विद्यापीठ।

उक्त के अतिरिक्त निम्न संस्थान भी मान्यता प्राप्त सूची में सम्मिलित हैं:-

1. वर्ष 2002 से माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा।
2. वर्ष 2005 से उत्तरांचल शिक्षा एवम् परीक्षा परिषद/उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा।
3. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा।
4. गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी (हरिद्वार) द्वारा संचालित विद्याविनोद (इण्टरमीडिएट) परीक्षा, (दो वर्षीय पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष उत्तीर्ण किया गया हो)।
5. रजिस्ट्रार अरबी फारसी परीक्षाएँ, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संचालित आलिम परीक्षा।
6. जामिया-मिलिया इस्लामिया, दिल्ली द्वारा संचालित एस0एस0सी0 (सीनियर सेकेण्ड्री सर्टिफिकेट) परीक्षा।
7. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ द्वारा संचालित सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा।
8. वर्ष 2017 से उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद, देहरादून द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा।